FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Gurugram **Year (वर्ष):** 2025

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0034 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 09/09/2025 20:31 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	420
3	IPC 1860	467
4	IPC 1860	468
5	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)(d)(ii)
6	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)(d)(iii)

3. **(a)** **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** Intervening Days **Date from (दिनांक से):** 01/08/2008 **Date To (दिनांक तक):** 23/11/2023

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** 00:00 hrs **Time To (समय तक):** 00:00 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 09/09/2025 **Time (समय):** 19:20 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 026 **Date and Time (दिनांक और समय):** 09/09/2025 19:41 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** SOUTH, 65 Km (s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): जिला रेवाडी,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** RAJ KARAN

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 03/04/1971 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	**Present Address**	**16 old, POLICE LINES, 4th Class Quatar, NARNAUL, NARNAUL, CITY NARNAUL, MAHENDERGARH, HARYANA-123001, INDIA**
2	**Permanent Address**	**16 old, POLICE LINES, 4th Class Quatar, NARNAUL, NARNAUL, CITY NARNAUL, MAHENDERGARH, HARYANA-123001, INDIA**

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-9354156450

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	सुनील कुमार		Father's Name: राजपाल	1. गाँव कोयलपुर खेतवास जिला झज्जर, JHAJJAR,HARYANA,INDIA
2	उत्तम		Father's Name: मीर सिंह	1. गॉव मकराडा थाना झोझू जिला चरखी,CHARKHI DADRI,HARYANA,INDIA 2. म०न0 461 सैक्टर 23 पंचकुला, PANCHKULA,HARYANA,INDIA
3	आशीष सागवान		Father's Name: कप्तान सिंह	1. गाँव बरखी दादरी जिला चरखी दादर,CHARKHI DADRI,HARYANA,INDIA 2. म०नं0 621 सैक्टर 14 रोहतक, ROHTAK,HARYANA,INDIA
4	जसबीर		Father's Name: होशियार सिंह	1. गाँव बसाना जिला रोहतक, ROHTAK,HARYANA,INDIA
5	हेमन्त कुमार		Father's Name: बलराज सिंह	1. म०न० 1024/34 विजय नगर,नजदीक झज्जर चुंगी रोहतक ROHTAK,HARYANA,INDIA
6	तत्कालीन ANO धीरज सांगवान			1. अहीर कॉलेज रेवाडी,REWARI,HARYANA,INDIA
7	तत्कालीन प्राचार्य औमकार सिंह			1. अहीर कॉलेज रेवाडी,REWARI,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	**UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)**

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में, प्रबन्धक अफसर, थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरुग्राम मण्डल गुरुग्राम। विषय- प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने बारे। श्रीमान जी, निवेदन यह है कि जांच कमांक 01 दिनांक 22.11.2023 रेवाडी मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के यादि कमांक 63/71/2023-1चौ० 1 दिनांक 17.11.2023 की अनुपालना में महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा पंचकूला के कार्यालय के पृष्ठ कमांक 19220/आई-2/भ्र०नि०ब्यूरो (ह0) दिनांक 23.11.2023 के अनुसार दर्ज रजिस्टर होने उपरान्त जॉच की विश्लेषण हेतु निरीक्षक वेद प्रकाश को प्राप्त हुई थी जिसकी अन्तिम रिपोर्ट तैयार की जाकर मुख्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा पंचकुला को भेजी गई थी जिस पर अतिरिक्त महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा पचकूला के पृष्ठ कमाक 10597/आई-2/भ्र०नि०ब्यूरो (ह०) दिनांक 06.06.2025 के अनुसार वापिस एवराजो की पुर्ती करने हेवू निरीक्षक वेद प्रकाश को प्राप्त हुई थी। जिसमें धीरज कुमार, ANO अहीर कॉलेज, रेवाडी व अन्य के खिलाफ आरोप थे कि "अहीर कॉलेज रेवाडी में Cadet कमांक HAR/SD/2010/24092 में Cadet सुनील कुमार पुत्र राजपाल जो कि अहीर कॉलेज में BCA विभाग में दिनांक 01.09.2010 से 10.04.2012 तक सहायक प्रोफैसर के पद पर कार्यरत था। Cadet कमांक HAR/SO/2010/24094 में Cadet उत्तम सिंह पुत्र मीर सिंह जो कि पूर्व NCC अधिकारी धीरज का सगा साला है। Cadet क्रमांक HAR/SD/2010/24095 में Cadet आशीष सागवान पुत्र कप्तान सिंह जो कि पूर्व NCC अधिकारी धीरज सांगवान का सगा भाई है। Cadet क्रमांक HAR/SD/2010/24096 में Cadet जसबीर सिंह पुत्र होशियार सिंह जो कि उपरोक्त NCC अधिकारी का निजी परिचित है Cadet कमांक HAR/SD/2010/24109 में Cadet हेमत पुत्र बलराज को भी धीरज सांगवान ने NCC का प्रमाण पत्र दिया है इसका भी अहीर कॉलेज के छात्र के तौर पर Enrollment करके NCC अधिकारी ने भेजा था। महत्वपूर्ण बात यह है कि हेमन्त पुत्र बलराज 10-2 पास ही नही था यह पोलोटेकनिकल कॉलेज हिसार का छात्र था। उक्त सभी कैडेटस को गलत तरीके से NCC के प्रमाण पत्र दिलवाये गये है।

जॉच के विश्लेषण से पाया कि कमान्डिग ओफिसर हरियाणा बटालियन NCC रेवाडी के पत्र क्रमांक 307/Trg/NCC/Dt. 01-04-2024 व दिनाँक 14.01.2025 अनुसार वर्ष 2010-12 के दौरान अहीर कोलेज रेवाडी के NCC कैडेटस को प्रशिक्षण दिया गया था। रिकार्ड बहुत पुराना है पुरी सूची उपलब्ध नहीं है। वर्ष 2010-12 को दौरान अहीर कॉलेज रेवाडी में सिर्फ अहीर कॉलेज रेवाड़ी के कैडेटस को ही प्रशिक्षण दिया गया था बाहरी व ओपन कैटेगरी के छात्रों को 8th हरियाणा बटालियन रेवाडी द्वारा अहीर कॉलेज रेवाडी में प्रशिक्षण नहीं दिया गया। वर्ष 2010-12 के दौरान अहीर कॉलेज रेवाडी के ओपन कैटेगरी के NCC Cadets सीट आवंटन नहीं की गई। Auth Strenght Allotment अनुसार अहीर कॉलेज को 160 NCC Cadets (01 कम्पनी) सीट के लिए अधीकृत किया गया था। NCC Cadets के प्रवेश के लिए योग्यता NCC Act. Rule 1948 अनुसार (1) Enrollment Form, (2) आयु सीमा 24 साल. (3) कैडेट भारत अथवा नेपाल का नागरिक होना चाहिए (4) कैडट शारीरिक फिटनेस उचाई छाती माप व अन्य मामलो में ऐसे मानक को पुरा करना होगा जैसा कि रक्षा मंत्रालय व भारत सरकार द्वारा निदिष्ट किया जा सकता हो, (5) कैडेट को उस कॉलेज के रोल पर होना चाहिए जो कॉलेज युनिट प्रदान कर रहा हो। तथा NCC Cadets ओपन कैटेगरी में प्रवेश के लिए पत्र न० 9005/DG/NCC/PLG Dt. 14 Jun 1993 अनुसार ओपन युनिट सिस्टम में रिक्तियों के प्रतिशत के मुददे पर कुछ राज्यों के अनुरोध पर महानिदेशक NCC ने फैसला सुनाया था कि इकाईयों के अधिकृत क्षमता का तकनीकी इकाईयो में 50 प्रतिशत व सभी इकाईयो में 20 प्रतिशत तक छात्रों को एक ही स्कूल/कॉलेज में न पढ़ते हुए ओपन युनिट के तहत नामांकित करने की अनुमति है। परन्तु अहीर कॉलेज रेवाडी को वर्ष 2010-12 के दौरान ओपन युनिट के तहत कोई सीट अधिकृत नहीं की गई थी। वर्ष 2010-12 के दौरान Cadet सुनील कुमार पुत्र राजपाल न० HAR/SD/2010/24092, Cadet उत्तम पुत्र मीरसिंह न0 HAR/SD/2010/24094, Cadet आशीष सांगवान पुत्र कप्तान सिंह न० HAR/SD/2010/24095, Cadet जसबीर पुत्र होशियार सिंह न० HAR/SD/2010/24096 व Cadet हेमन्त कुमार बलराज सिंह न० HAR/SD/2010/24109 वर्ष 2010-12 में NCC का प्रशिक्षण युनिट अहीर कॉलेज रेवाडी के माध्यम से प्राप्त किया है। कैडेटस सुनील, उत्तम्, आशीष सागवान, हेमन्त को NCC का B सर्टिफिकेट व जसबीर को सी सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ था। उपरोक्त कैडेटस के Enrollment Form में Sr No. 10 पर छात्रो द्वारा अपने आप को अहीर कॉलेज का छात्र होना दर्शाया

गया है। जबकि ये छात्र अहीर कॉलेज के छात्र नहीं थे। तथा हेमन्त पुत्र बलराज सिंह के फार्म उपलब्ध नही कराया गया है। पुराना रिकार्ड होने के कारण कार्यालय का रिकार्ड युनिट BOO Dt 30 अप्रैल 2022 के अनुसार वीड आउट किया जा चुका है।

अहीर कॉलेज रेवाडी के पत्र न० 24/AR/40 दिनाँक 23.01.2024 व 25/AR/69 दिनाँक 22.01.2025 अनुसार वर्ष 2010-12 के दौरान NCC Cadets के सम्बन्ध में सुनील कुमार पुत्र श्री राजपाल इस कॉलेज में BCA विभाग में सहायक प्रोफेसर के रूप में दिनाक 01.09.2010 से 24.05.2011 और 22.07.2011 से 10.04.2012 तक पूर्णतः अस्थाई /अनुबंध आधार पर कार्य किया। इसके अलावा वर्ष 2010-12 के समय का NCC के सम्बन्ध में कॉलेज में रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। तथा कैडेटस सुनील, उत्तम, आशीष सांगवान, हेमन्त व जसबीर अहीर कॉलेज के वास्तविक छात्र नहीं थे। और धीरज सांगवान तत्कालीन ANO (Associate NCC Officer), अहीर कॉलेज रेवाडी में दिनांक 01. 08.2008 से 31.08.2018 तक नियुक्त रहे है। अहीर कॉलेज के प्राचार्य स्व० श्री अभय सिंह यादव दिनाँक 01.04.2010 से 31.12.2012 तक व औमकार सिंह तत्कालीन प्राचार्य दिनाँक 01.01.2013 से 31.03.2019 तक रहे थे। अहीर कॉलेज के तत्कालीन प्राचार्य अभय सिंह यादव थे जिनकी दिनाँक 05.07.2014 को मृत्यू हो चुकी है। वर्ष 2010-12 के दौरान NCC Cadets Enrollment Form पर श्री ओमकार सिंह यादव को सीनियर प्रोफेसर होने के नाते हस्ताक्षर करने के लिए अधीकृत किया हुआ था। उपरोक्त NCC Cadets के Enrollment Form श्री ओमकार सिंह यादव तत्कालीन सीनियर प्रोफेसर के हस्ताक्षर है।

वर्ष 2010-12 के दौरान Cadet सुनील कुमार पुत्र राजपाल न० HAR/SD/2010/24092 निवासी गाँव कोयलपुर खेतवास जिला झज्जर वर्ष 2010-12 के दौरान अहीर कॉलेज में अनुबंध के तौर पर सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त था और कर्नाटक स्टेट ओपन युनिवर्सिटी से M.Tech की पढ़ाई कर रहा था। जिसकी जन्म तिथी 10.02.1987 है। जो अहीर कॉलेज का छात्र ना होने पर भी अहीर कॉलेज यूनिट के माध्यम से NCC-B सर्टिफिकेट हासिल किया है। Cadet उत्तम पुत्र मीरसिंह न० HAR/SD/2010/24094 निवासी गॉव मकराडा थाना झोझू जिला चरखी दादरी हाल ग०न0 461 सैक्टर 23 पंचकुला वर्ष 2010-12 के दौरान अहीर कॉलेज का छात्र नही था उस समय वह माधोराव वानखेडे शारीरिक शिक्षण महाविधालय काम्टी नागपुर महाराष्ट्र में B. Ped का रगुलर छात्र था। जिसकी जन्म तिथी 27.08.1991 है। जो अहीर कॉलेज का छात्र ना होने पर भी अहीर कॉलेज युनिट के माध्यम से NCC-B सर्टिफिकेट हासिल किया है। Cadet आशीष सागवान पुत्र कप्तान सिंह न० HAR/SD/2010/24095 निवासी गाँव बरखी दादरी जिला चरखी दादरी हाल ग०नं0 621 सैक्टर 14 रोहतक वर्ष 2010-12 के दौरान अहीर कॉलेज का छात्र नहीं था उस समय वह देविडियन युनिवर्सिटी आन्द्राप्रदेश में PHD अग्रेजी विषय से रगुलर लिया था वहा उसने पुरी पढ़ाई नहीं की उसके बाद नीम्स युनिवर्सिटी जयपुर में एडमिशन लिया हुआ था। जिसकी जन्म तिथी 27.01.1983 है। जिसकी उम्र वर्ष 2010 में 24 साल से ज्यादा थी फिर भी NCC में दाखिला लेकर बी सर्टिफिकेट हासिल किया। Cadet जसबीर पुत्र होशियार सिंह न० HAR/SD/2010/24096 निवासी गाँव बसाना थाना कलानौर जिला रोहतक वर्ष 2010-12 के दौरान अहीर कॉलेज का छात्र नहीं था उस समय वह MA शारीरिक शिक्षा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन नोएडा में रगुलर एडमिशन ले रखा था जिसकी जन्म तिथी 12.05.1981 है। जिसकी उम्र वर्ष 2010 में 24 साल से ज्यादा थी फिर भी NCC में दाखिला लेकर बी सर्टिफिकेट हासिल किया। Cadet हेमन्त कुमार बलराज सिंह न० HAR/SD/2010/24109 निवासी म०न० 1024/34 विजय नगर, नजदीक झज्जर चुंगी रोहतक वर्ष 2010-12 के दौरान अहीर कॉलेज का छात्र नही था वर्ष 2010 में वह Govt. Polytecnic Hisar का विधार्थी था पोलोटेक्निक का डिप्लोमा पुरा नहीं किया उसके बाद वह वर्ष 2012 में B.Tech में Guru Jambheshwar Univercity, Hisar प्रदेश लिया था। जिसकी जन्म तिथी 05.09.1991 है। जो अहीर कॉलेज का छात्र ना होने पर भी अहीर कॉलेज युनिट के माध्यम से NCC-C सर्टिफिकेट हासिल किया है।

कैडेटस सुनील, उत्तम्, आशीष सांगवान, हेमन्त व जसबीर अहीर कॉलेज के छात्र नहीं थे और उक्त छात्र जिला रेवाडी के अन्य किसी कॉलेज के भी छात्र नहीं थे ये सभी छात्र अन्य राज्य के कॉलेजो में प्राईवेट छात्र होते हुए अध्ययनरत थे। जबकि कॉलेज युनिट के माध्यम से NCC कैडेट का एडमिशन के लिए कॉलेज का छात्र होना अनिवार्य है या फिर ओपन कैटेगरी के छात्र के लिए कॉलेज युनिट के द्वारा 8th हरियाणा बटालियन NCC रेवाडी से सीटों की अनुमति लेना आवश्यक था और ओपन कैटेगरी में अहीर कॉलेज

युनिट के आस पास के कॉलेजो जिन कॉलेजो में NCC युनिट नहीं है उनके छात्रो के लिए ओपन कैटेगरी के लिए आवेदन अनुमति लेकर अहीर कॉलेज युनिट द्वारा एडमिशन दिलाया जा सकता था। परन्तु रिकार्ड अनुसार वर्ष 2010-12 के दौरान अहीर कॉलेज युनिट रेवाडी को 8th हरियाणा बटालियन NCC रेवाडी ने ओपन कैटेगरी के छात्रो की कोई अनुमति नहीं दी हुई थी। फिर भी उपरोक्त कैडेटस ने अपने Enrollment Form में अहीर कॉलेज का छात्र होना दर्शाया है। और कैडेट आशीष सांगवान व जसबीर की उम्र वर्ष 2010 में 24 साल से ज्यादा थी। जबकि NCC कैडेटस की आयु 24 साल से कम होनी चाहिए थी। अहीर कॉलेज युनिट रेवाडी के तत्कालीन ANO धीरज सांगवान थे। कैडेटस आशीष सागवान, तत्कालीन ANO धीरज सागवान का संगा भाई है व उत्तम सिंह, तत्कालीन ANO धीरज सांगवान का सगा साला है और जसबीर व सुनील तत्कालीन ANO धीरज सांगवान के परीचित है। इसलिए तत्कालीन ANO धीरज सांगवान द्वारा अहीर कॉलेज रेवाडी के तत्कालीन प्राचार्य औमकार सिंह से मिलकर कैडेटस सुनील, उत्तम, आशीष सांगवान, हेमन्त व जसबीर को अहीर कॉलेज के छात्र नहीं होते हुए भी व कैडेटस आशीष व जसबीर की आयु 24 साल से ज्यादा होने के उपरान्त भी अहीर कॉलेज रेवाडी में Enrollment Form भरवाकर तथा NCC फार्म को वेरिफाई करवाकर तथा फर्जी कागजात तैयार करके 8th हरियाणा बटालियन NCC रेवाडी से उपरोक्त छात्रो को NCC प्रमाण पत्र प्राप्त दिलवाया है। परन्तु उपरोक्त छात्रो ने NCC प्रमाण पत्र का कही भी उपयोग करना नही पाया गया है। कैडेटस सुनील, उत्तम, आशीष सांगवान, हेमन्त व जसबीर ने अपने Enrollment Form के सीरियल न० 10 पर अहीर कॉलेज रेवाडी का नियमित छात्र न होते हुए भी नियमित छात्र दर्शाकर, तत्कालीन ANO धीरज सांगवान ने अपने भाई, रिस्तेदार व परिचितों के गलत Enrollment Form भरवाकर तत्कालीन प्राचार्य औमकार सिंह अहीर कॉलेज रेवाडी से मिलकर फार्मो को सत्यापित करवाकर NCC में दाखिला दिलवाकर NCC प्रमाण पत्र दिलवाकर अपने पद का दुरुप्योग करके धारा 420, 120B, 467 व 468 भा०द०स० व 13 (1) (d) (ii) (iii) PC Act 1988 के तहत अपराध किया है। अतः कैडेटस सुनील, उत्तम, आशीष सांगवान, हेमन्त, जसबीर व तत्कालीन ANO धीरज सांगवान, तत्कालीन प्राचार्य औमकार सिंह अहीर कॉलेज रेवाडी के खिलाफ अपराध धारा 420, 120B, 467 व 468 भा०द०स0 व 13 (1) (d) (ii) (iii) PC Act 1988 के अनुसार अपराध करना पाया जाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की संस्तुति के साथ जांच कमांक 01 दिनाक 22.11.2023 रेवाडी की अन्तिम रिपोर्ट निरीक्षक वेद प्रकाश द्वारा तैयार करके श्रीमान पुलिस अधीक्षक, प्रष्टधवार निरोधक ब्यूरो गुरुग्राम कार्यालय के पत्र क्रमांक न० 2953/भ्र०नि०ब्यू०/ गुरुग्राम दि० 12.06.2025 अनुसार मुख्यालय हरियाणा, पंचकुला भेजी गई थी। जिसके उपरान्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के यादि कमांक 63/71/2023-1V1 दिनांक 05.09.2025 की अनुपालना में अतिरिक्त महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा पंचकूला के कार्यालय के पृष्ठ कमांक 17915/1-2/SV ACB (H) dt. 05-09-2025 अनुसार कैडेटस सुनील, उत्तम, आशीष सांगवान, हेगना, जसबीर व तत्कालीन ANO धीरज सागवान, तत्कालीन प्राचार्य औमकार सिंह अहीर कॉलेज रेवाडी के खिलाफ अपराध धारा 420, 120B, 467 व 468 भा०द०स० व 13 (1) (d) (ii) (iii) PC Act 1988 में अभियोग अकिंत करने के लिए ड्राफ्ट तहरीर अनुमोदन हेतू इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 5170/SVACB/GGM दिनांक 09.09.2025 के अनुसार भेजी गई थी श्रीमान अतिरिक्त महानिदेशक, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, हरियाणा पंचकुला के कार्यालय कमांक 18170/1-2/ACB(H) दिनांक 09.09.2025 के अनुसार तहरीर अनुमोदन होने उपरान्त इस कार्यालय में प्राप्त हुई है। पुलिस अधीक्षक, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम मण्डल गुरुग्राम द्वारा मन निरीक्षक को अभियोग अंकित करने के लिए तहरीर मार्क की है। आज मैं हाजिर कार्यालय राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरूग्राम हूँ। जो उपरोक्त तहरीर बर खिलाफ कैडेटस सुनील, उत्तम, आशीष सांगवान, हेमन्त, जसबीर व तत्कालीन ANO धीरज सांगवान, तत्कालीन प्राचार्य औमकार सिंह अहीर कॉलेज रेवाडी के खिलाफ अपराध धारा 420, 120B, 467 व 468 भा०द०रा० व 13(1) (d) (ii) (ii) भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम 1988 के अर्न्तगत अभियोग दर्ज करने व किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्ता पाई जाती है तो उसे अनुसंधान के दौरान देख लिये जाने बारे तहरीर तैयार करके स० उप निरीक्षक बसन्त न० 138/झज्जर के माध्यम से थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरुगाम भेजी जा रही है। अभियोग दर्ज करके अभियोग की स्पेशल रिपोर्ट नियमानुसार स्पेशल वाहक के माध्यम से ईलाका मजिस्ट्रेट व उच्च अधिकारियों को भिजवाई जावे। अभियोग की मिशल मय असल तहरीर आगामी अनुसंधान हेतु आगामी अनुसंधानकर्ता के पास भिजवाई जावे। sd राजकरण नि0 130, निरीक्षक राजकरण राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, गुरूग्राम मण्डल गुरुग्राम। दिनांक 09.09.2025 समयः 7.25 PM अज थाना - आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बा जुर्म मजकुर दर्ज रजिस्टर किया गया । FIR की प्रतिया CCTNS द्वारा तैयार की गई । जो नियमानुसार अफसरान बाला व ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब को भेजी जायेगी एक प्रति FIR बतौर स्पैशल रिपोर्ट ई-मेल द्वारा इलाका मजिस्ट्रेट साहब रेवाडी भेजा जा रही है । मुकदमा

हजा की मिशल मय असल तहरीर आने वाले स० उप निरीक्षक बसन्त न० 138/झज्जर के हाथ आगामी अनुसंधान हेतु DSP अर्जुन देव ह0पु0से0, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम के पास भेजी जा रही है ।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. **(की गयी कार्यवाही :** चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद **सं.** 2 में उल्लेख धारा के तहत है.**):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** ARJUN DEV **Rank (पद):** Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)

No. (सं.): H22 **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Jaipal

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 94

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की **दिनांक** और समय**):**

Error: Subreport could not be shown.